कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा म0प्र0.

//विविध आदेश//

क्रमांक–299/विविध/2020 विदिशा दिनांक 13.08.2020

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, विदिशा ने अपने आदेश क्रमांक/स्टेनो/2020/6082, विदिशा, दिनांक 12.08.2020 से संपूर्ण जिला न्यायालय परिसर, विदिशा को दिनांक 12.08.2020 से दिनांक 16.08.2020 तक कोविड–19 संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय, विदिशा के मुख्यालय स्थित न्यायालयों के अत्यावश्यक न्यायिक कार्यों को सम्पादित करने के लिए निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया जाता है :–

उपरोक्तानुसार अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई/रिमांड ड्यूटी के दौरान प्रतिदिन दोपहर 3:00 बजे से 4:00 बजे तक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं 4:00 बजे से 5:00 बजे तक अपर सत्र न्यायाधीश रिमांड कार्य अपने स्टॉफ सहित संपादित करेंगे।

01. जिला मुख्यालय विदिशा में:––

क्र.	दिनांक	अपर सत्र न्यायाधीश	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
1	13 अगस्त 2020	श्री उपेंद्र सिंह, IV ASJ	सुश्री आरती आर्य, जेएमएफसी
2	14 अगस्त 2020	श्री उपेंद्र सिंह, IV ASJ	श्री कृष्णा अग्रवाल, जेएमएफसी
3	15 अगस्त 2020	श्री आत्माराम टांक, I ASJSJ	श्री रविकांत सोलंकी, जेएमएफसी
4	16 अगस्त 2020	श्री आत्माराम टांक, I ASJSJ	श्रीमती बार्बी जुनेजा, जेएमएफसी

नोट–

01. किसी न्यायाधीश के अपने कर्त्तव्य पर किसी कारणवश उपस्थित रहने में असमर्थ होने की दशा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा को सूचना दी जावेगी और उनके स्थान कार्य विभाजन पत्रक अनुसार उनके प्रभारी न्यायाधीश द्वारा उक्त ड्यूटी निष्पादित की जावेगी।

02. उक्त दिनांकों में आवश्यकतानुसार किसी भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दूरभाष के माध्यम से सूचित कर, कर्तव्य पर बुलाया जा सकता है, दूरभाष से प्राप्त सूचना के आधे घंटे के अंदर संबंधित कर्मचारी को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

03. चूंकि किशोर न्याय बोर्ड, विदिशा प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं है, इस कारण पूर्वानुसार उक्त न्यायालय अपना कार्य निष्पादित करेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा

पृष्ठां0क0–2472/विविध/2020 विदिशा, दिनांक 13.08.2020

प्रतिलिपि–

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ.

02. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा की ओर सूचनार्थ.

03. विशेष न्यायाधीश एवं समस्त न्यायिक अधिकारी जिला स्थापना,विदिशा

04. समस्त प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ एवं समस्त तृतीय एवं चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

05. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विदिशा,

06. पुलिस अधीक्षक, विदिशा,

07. जेल अधीक्षक जिला जेल एवं उपजेल गंजबासौदा/लटेरी

08. कार्यालय जनसंपर्क अधिकारी विदिशा

09. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ विदिशा/गंजबासौदा/सिरोंज/कुरवाई एवं लटेरी की ओर सूचनार्थ,

10. प्रिंट मीडिया/न्यूज मीडिया प्रभारी विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं सूचना प्रसारित किये जाने हेतु।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
विदिशा